<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
लक्ष्मीनारायण बनाम छीतर
अपील संख्या 208/2014 (जीसीएमएस नम्बर 2014/00076)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>23.01.23</td><td>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित तथा अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी उपस्थित नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.07.2015 द्वारा अपील अपीलान्ट 10,000/—अक्षरे दस हजार रूपये की कोस्ट पर विड्रो की अनुमति दी गई है एवं कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 6519/2015 पेश की गई जो राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.07.2019 खारिज की गई है उसके उपरान्त भी अपीलार्थी की ओर से आज दिनांक तक उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जमा नही करवाई गई है जो उचित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी से उक्त कोस्ट की राशि वसूल करने हेतु जिला कलक्टर जयपुर को लिखा जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलार्थी से उक्त कोस्ट की राशि की वसूली हेतु निर्णय की प्रति जिला कलक्टर जयपुर को भिजवायी जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर</td><td></td></tr>
</table>